12-14918

nisley

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



REGD. NO. D. L.-33004/99

ह्यारी सम्बद्धाः स्टब्स

# HRA an Isua The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY P.O. - 350 KM - 30 Deft -100

CPB- 220

सं. 298] No. 298] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 2004/आषाढ़ 25, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 2004/ASADHA 25, 1926

बुरा

`

वित्त मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

(भारतीय रिजर्व बैंक)

(विदेशी मुद्राविभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 25 मई, 2004

सं. फेमा. 117/2004-आरबी

## विदेशी मुद्रा प्रबंध ( रुपये में उधार लेना और उधार देना )

( दूसरा संशोधन ) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 453(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का अधिनियम 42) की धारा की 6 की उपधारा (3) के खंड (ङ) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 4/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना और उधार देना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।
- (ii) यह मई 2004 के 25 तारीख से लागू होगी।

## 2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपये में उधार लेना और उधार देना) विनियमावली, 2000 के विनियम 8 के उपविनियम (घ) में ''ऋण का उपयोग'' शब्द के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

''अथवा उधारकर्ता के भारत में रहने वाले किसी संबंधी द्वारा ऐसे संबंधी के बैंक खाते के माध्यम से उधारकर्ता के ऋण खाते में जमा द्वारा।

2201 GI/2004

(1)

प्रभारी रा॰ वि० एकक स्पद्मीकरण

रण ' संबंधी' शब्द का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित ' संबंधी' है।''

[फा.सं. 1/23/ई.सी./2000/खण्ड-II]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

पादःद्विप्पण:-

मूल अधिनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया, देखें सा.का.नि. सं. 387(अ) दिनांक मुई 5, 2000 में भाग II, खण्ड 3, ४प-खंड (i) और बाद में सा.का.नि. सं. 90 दिनांक फरवरी 12, 2001, 754(अ) दिनांक नवम्बर 11, 2002 तथा दिनांक 8 जून, 2004, सं. 351(ई) द्वारा संशोधित किया गया।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 25th May, 2004

#### No. FEMA 117/2004-RB

## Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Second Amendment) Regulations, 2004

G.S. R 453(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (e) of Sub-section (3) of Section 6 and Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of Notification No. FEMA 4/2000-RB dated May, 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000, namely:—

#### 1. Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) (Second Amendment) Regulations, 2004.
  - (ii) They shall come into force on the 25th day of May, 2004.

#### 2. Amendment of the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Rupees) Regulations, 2000, in Regulation 8, in Sub-regulation (d), after the words "utilization of the loan", the following shall be added, namely:

"or by any relative of the borrower in India by crediting the borrower's loan account through the bank account of such relative.

Explanation: The word 'relative' means 'relative' as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956".

[F. No. 1/23/EC/2000/Vol. II]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 387(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 90 dated February 12, 2001, 754(E) dated November 11, 2002 and 351(E) dated June, 8, 2004.

## अधिसूचना

मुम्बई, 16 जून, 2004

## सं. फेमा. 118/2004-आर बी

## विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम ) ( तृतीय संशोधन ) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 454( अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का अधिनियम 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000—आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (1) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।
  - (2) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

## 2. विनियमावली में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में, अनुसूची I में, पैराग्राफ 4 में, उप-पैराग्राफ (4) में, वर्तमान खंड (क) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''(क) जिन बैंकों का स्टैंडर्ड एण्ड पुअर, फिट्ज, आइबीसीए अथवा मूडीज, आदि द्वारा श्रेणी निर्धारण किया गया है और वह श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट श्रेणी से कम नहीं है, उन बैंकों के पास रखी जमा राशियां अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित जमा प्रमाण पत्र अथवा अन्य लिखत''।

[फा. सं. 1/23/ई.सी./2000-खण्ड-][]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

पाद टिप्पणी: —मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक 3, मई 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) में भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किया गया है:—

## दिनांक मई 3, 2000 का भारिबैंक की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी

दिनांक 13-3-2001 का सं. सा.का.नि. 175(अ)

दिनांक 14-3-2001 का सं. सा.का.नि. 182(अ)

दिनांक 2-3-2001 का सं. सा.का.नि. 158(अ)

दिनांक 19-8-2002 का सं. सा.का.नि. सं. 574(अ)

दिनांक 2-1-2002 का सं. सा.का.नि. सं. 4(अ)

दिनांक 18-3-2003 का सं. सा.का.नि. 223(अ)

दिनांक 18-3-2003 का सं. सा.का.नि. 225(अ)

दिनांक 22-7-2003 का सं. सा.का.नि. सं. 558(अ)

दिनांक 23-10-2003 का सं. सा.का.नि. 835(अ)

दिनांक 22-11-2003 का सं. सा.का.नि. 899(अ)

दिनांक 7-1-2003 का सं. सा.का.नि. 12(अ)

दिनांक 23-4-2004 का सं. सा.का.नि. 278(अ)

### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 16th June, 2004

#### No. FEMA 118/2004-RB

## Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 454(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:—

## 1. Short title and commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2004.
  - (ii) They shall come into force with immediate effect.

## 2. Amendment to the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, in Schedule I, in paragraph 4, in sub-paragraph (4), the existing Clause (a) may be replaced with the following clause:

"(a) deposits with or Certificate of Deposit or other instruments offered by banks who have been rated by Standard and Poor, Fitch, IBCA or Moody's etc.; and such rating not being less than the rating stipulated by Reserve Bank from time to time for the purpose."

[F. No. 1/23/EC/2000-Vol. II]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 406(E) dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:—

## RBI Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3-5-2000

No. GSR	175(E) dated 13-3-2001
No. GSR	182(E) dated 14-3-2001
No. GSR	158(E) dated 2-3-2001
No. GSF	574(E) dated 19-8-2002
No. GSR	4(E) dated 2-1-2002
No. GSF	223(E) dated 18-3-2003
No. GSR	225(E) dated 48-3-2003
No. GSR	558(E) dated 22-7-2003
No. GSR	835(E) dated 23-10-2003
No. GSR	899(E) dated 22-11-2003
No. GSR	12(E) dated 7-1-2004

No. GSR 278(E) dated 23-4-2004